न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 03 / 2021 / अपील

उनवान

1. हरीसिंह पि. अनारसिंह जाति सोंध्या राजपूत नि. आदाखेडी तहसील पिडावा

--अपीलांट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरिया पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल
2. प्रभूलाल पि. हरीसिंह जाति सोंध्या राजपूत नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
3. शिवलाल पि. हरीसिंह जाति सोंध्या राजपूत नि. आदाखेडी तहसील पिडावा
4. गीताबाई बेवा हरीसिंह जाति सोंध्या राजपूत नि. आदाखेडी तहसील पिडावा

-- रेस्पोडेन्टस

अपील बराराजगी आदेश दिनांक 05.09.2020
नामा0सं. 1162 ग्राम पंचायत रामपुरिया

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री ईश्वरसिंह

वकील रस्पोडेन्ट सं. – श्री महेन्द्रसिंह जैन

आदेश

दिनांक : 23/07/2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत रामपुरिया द्वारा निर्णित नामा.सं. 1162 दिनांक 05.09.2020 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रापुरिया की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 55 की आराजी किता 3 रकबा 2.3397 हेक्टर व खाता सं. 181 की आराजी किता 1 रकबा 3.0604 हेक्टर , खाता सं. 258 की आराजी किता 2 रकबा 2.9972 हेक्टर , खाता सं. 368 की आराजी किता 1 रकबा 0.8094 हेक्टर भूमि अपीलांट के शामलाती खातेदारी की है।

इसी प्रकार ग्राम रामपुरिया की खाता सं. 162 की आराजी किता 4 रकबा 1. 4038 हेक्टर , खाता सं. 172 की आराजी किता 3 रकबा 3.1489 हेक्टर , खाता सं. 205 की आराजी किता 3 रकबा 0.0885 हेक्टर , खाता सं. 206 की आराजी किता 1 रकबा 0.8979 हेक्टर , खाता सं. 139 की आराजी किता 1 रकबा 0.8600 हेक्टर भूमि रेस्पोडेन्टस के शामलाती खाते की आराजी है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.08.05 11:50:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

रेस्पोडेन्टस सं. 2 व 3 के पिता तथा रेस्पोडेन्टस सं. 4 के पति हरीसिंह पि. अनारसिंह का देहान्त दिनांक 27.08.2019 को हो गया है जिसका फोती नामा.सं. 1162 दि. 05.09.2020 को ग्राम पंचायत रामपुरिया द्वारा तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्टस सं. 2 व 3 के पिता तथा रेस्पोडेन्टस सं. 4 के पति का एवं अपीलांटस का नाम , पिता का नाम एवं जाति एक समान होने से अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुरिया द्वारा उक्त नामा.गलत तस्दीक कर दिया। अपीलांट को उक्त नामा.का ज्ञान दि. 20.02.2021 को खाते की नकल प्राप्त करने पर हुआ। उक्त नामा. में दर्ज खाता नं. में अपीलांट के परिवारो के सदस्यों के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त नामा. गलत तस्दीक किया है जिससे उक्त नामा.सं. 1162 निरस्तनीय है।

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर ग्राम रामपुरिया द्वारा निर्णित नामा. सं. 1162 दिनांक 05.09.2020 को निरस्त कर ग्राम रायपुर के खाता सं. 55 , 181 , 258 , 368 में अपीलांटस का नाम हिस्से अनुसार एवं खाता सं.. 139 , 162 , 172 , 205 , 206 में रेस्पोडेन्टस 2 लगायत 4 का नाम हिस्से अनुसार दर्ज किया जावे। अपील के साथ ग्राम रामपुरिया के खाता सं: 55 , 181 , 258 , 368 , 139 , 162 , 172 , 205 , 206 की नकले एवं नामा.सं. 1162 की नकल , हरीसिंह का मृत्यु प्रमाण पेश किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब करने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 4 की ओर से श्री महेन्द्रसिंह एडवोकेट द्वारा वकालातनामा एवं स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरिया द्वारा निर्णित नामा.सं. 1162 दिनांक 05.09.2020 को निरस्त कर ग्राम रामपुरिया के खाता सं. 55 , 181 , 258 , 368 में अपीलांटस का नाम हिस्से अनुसार एवं खाता सं. 139 , 162 , 172 , 205 , 206 में रेस्पोडेन्टस 2 लगायत 4 का नाम हिस्से अनुसार दर्ज किया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम रामपुरिया की आराजी खाता सं. 55 , 181 , 258 , 368 का खातेदार अपीलांट हरीसिंह पि. अनारसिंह जीवित है एवं खाता सं. 139 , 162 , 172 , 205 , 206 का खातेदार हरीसिंह पि. अनारसिंह की मृत्यु दिनांक 27.08.2019 को हुई है। ग्राम

COURT

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.08.05 11:50:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by TapScanner

रामपुरिया का नामा.सं. 1162 दर्ज करते समय सहवन से उक्त नामा. में दोनो खातेदारान की वादग्रस्त आराजियात को दर्ज कर दिया एवं जांचकर्त्ता अधिकारी व तस्दीककर्ता न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी विधिक जांच किये बिना उक्त नामा.को तस्दीक कर दिया जिससे अपीलांट हरीसिंह पि. अनारसिंह के खाते की आराजी में भी रेस्पोडेन्टस का नाम दर्ज हो गया जो कि गलत है।

आदेश

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर रामपुरिया की वादग्रस्त आराजी के खाता सं. 55 , 181 , 258 , 368 , 139 , 162 , 172 , 205 , 206 में दर्ज नामा.सं. 1162 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार पिडावा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर नये सिरे से मृतक खातेदार हरीसिंह पि. अनारसिंह के खाते की आराजी में उसके वैध वारीसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करें एवं जीवित खातेदार अपीलांट के खाते की आराजी पुनः उसके नाम हिस्से अनुसार दर्ज की जावे।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

COURT 2021
Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.08.05 11:50:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner